रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2003/ज्येष्ठ 26, 1925
No. 285] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2003/JYAISTHA 26, 1925

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2003

सा.का.नि. 490(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2003 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा ।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 (जिसे इसमें उक्त आदेश कहा गया है), में, खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'2. परिभाषाएं— "व्यौहारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो खंड 3 में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु का विक्रय करने के लिए उसके क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय या भंडारण के कारबार में लगा हुआ है चाहें वह थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या

1670 GI/2003

उत्पादक या विनिर्माता या निर्यातकर्ता या आयातकर्ता हो और चाहे वह किसी अन्य कारबार में सहयोजित हो या नहीं और जिसके अंतर्गत उसके प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी है, किन्तु जिसके अंतर्गत चीनी का उत्पादक या विनिर्माता या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता नहीं है ।'

3. उक्त आदेश के खंड 3 में, "और खाद्य तेल" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

", खाद्य तेल, दालें, गुड़, गेहूं उत्पाद (अर्थात् मैदा, रवा, सूजी, आटा, पारिणामी आटा और चोकर) तथा हाइड्रोजनकृत वनस्पति तेल या वनस्पति ।"

4. उक्त आदेश में, खंड 6 के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"7. इस आदेश में की कोई बात, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में धान या चावल के मिल मालिकों या व्यौहारियों से लेवी के रूप में चावल उपापन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए लेवी आदेशों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी ।"

टिप्पण— मूल आदेश, भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 104(अ), तारीख 15.2.2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

[फा. सं. (10/1/2002–ईसीआर एंड ई)]

सतवंत रेड्डी, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 16th June, 2003

G.S.R. 490(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely :-

1. (1) This order may be called the Removal of (Licensing

requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2003.

(2) It shall come into force on the expiry of thirty days from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 (herein referred to as the said Order), for clause 2, the following clause shall be substituted, namely:-

'2. Definitions- "dealer" means any person engaged in the business of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale of any of the commodities specified in clause 3 whether as a wholesaler or retailer or producer or manufacturer or exporter or importer and whether or not in conjunction with any other business and includes his representative or agent but does not include a producer or manufacturer or importer or exporter of sugar.'

3. In clause 3 of the said Order, for the words " and edible oils" the following shall be substituted, namely :-

", edible oils, pulses, gur, wheat products (namely maida, rava, suji, atta, resultant atta and bran) and hydrogenated vegetable oil or vanaspati."

4. In the said Order, after clause 6 the following clause shall be added , namely :-

"7. Nothing contained in this Order shall affect the operation of the levy orders issued by the State Governments for the purpose of procurement of rice as levy from the millers or dealers of paddy or rice in pursuance of the powers

delegated to the State Governments by the Central Government under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955."

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India vide GSR No. 104(E) dated 15.2.2002.

[F. No. (10/1/2002-ECR & E)]

SATWANT REDDY, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.